

पॉवरग्रिड खेतड़ी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड  
POWERGRID KHETRI TRANSMISSION SYSTEM LIMITED  
(A 100% wholly owned subsidiary of Power Grid Corporation of India Limited)  
(A Govt. of India Enterprises)

765/400 kV substation, Vill.- Jasrapur, Tehsil- Khetri, District- Jhunjhunu (Rajasthan), PIN-333514  
CIN : U40100DL2019GOI347127.

Ref: PKTSL/RTI/00045/

Dt.12.02.2021

To

Shri Gajendra Kumar Maharia,  
Gotam Nagar, Near Nalanda School,  
Nawalgarh Road, Kabadi Bazar, Sikar-332001

Subject: Regarding Information to Online RTI application Registration No.PGCIL/R/E/21/00045 Dt.23.01.2021.

Sir,

This has reference to your online RTI Application Registration No.PGCIL/R/E/21/00045 dt.23.01.2021 vide which you have sought information under RTI Act-2005. In this regard point-wise information sought by you is as below:

Point No.	Points on which the information sought by you	Information provided by PKTSL
(A)	The Name and Address of the person whom the compensation for the Tower was paid?	Crop Compensation during Construction of Tower No 73/2 of 400KV Khetri-Sikar Transmission Line which falls in Khasra No.158 of Village Kudan, District Sikar paid to Shri Narendra Kumar S/o Shri Richhpal, Village-Kudan, Tehs.l-Dhodh, District-Sikar.
(B)	The details of the compensation amount, date of payment and bank account number, if any?	Following crop compensation payment has been made against damaged area fall in Khasra No.158 of Village-Kudan, Dist.- Sikar: During tower foundation work-₹43,146/- dated 23.09.2020 During tower erection work-₹46,702/- dated 23.09.2020 During line stringing work-₹18,389/- dated 21.01.2021 Details of Bank Account Number of beneficiary is exempted under section 8(1) (j) of RTI Act-2005.
(C)	Please provide me the certified copies of all related Documents on the basis of which compensation was paid?	Document attached.

**Details of First Appellate Authority**

**Shri A.K. Mishra**

Executive Director (NR-I), First Appellate Authority,  
Power Grid Corporation of India Ltd., Northern Region -I, HQ  
SCO-5-10, Sector-16A, Faridabad (Haryana)-121002  
Phone No.0129-2666301

Thanking you.

Yours faithfully,

*Sharma* 12/02/21.

(Alok Kumar Sharma)  
Chief General Manager, Project Head  
Designated CPIO, PKTSL

राजस्थान सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, धोद (मु0 सीकर)

क्रमांक: राजस्व/2020/ 920

दिनांक: 10/08/2020


उपमहाप्रबंधक,  
पावरग्रिड खेतड़ी ट्रांसमिशन सिस्टम लि.  
भदाडर, सीकर।

विषय:-400 के.वी. डी/सी खेतड़ी(New)- सीकर पारेषण पथ के निर्माण कार्य के दौरान फसल नुकसान मुआवजे के संबंध में रिपोर्ट बाबत।

प्रसंग:- आपका पत्रांक: 21 दिनांक 29.07.2020 के क्रम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत आपके प्रासांगिक पत्र के संबंध में फसल स्वामित्व सत्यापन की जांच तहसीलदार, धोद से करवायी गयी, जिसकी पालना में तहसीलदार धोद ने अपने पत्र क्रमांक: राजस्व/2020/608 दिनांक 07.08.2020 के द्वारा पटवारी, हल्का कूदन से मौका जांच करवायी जाकर फसल स्वामित्व सत्यापन रिपोर्ट प्रमाणित कर भिजवायी है, जिसके अनुसार राजस्व ग्राम कूदन के खसरा संख्या 158 पर श्री नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री रिछपाल सिंह जाति जाट निवासी कूदन द्वारा फसल काश्त की गयी है एवं उसके द्वारा ही फसल की देखरेख की जा रही है तथा उक्त वर्णित खसरे में पूर्व वर्षों से ही श्री नरेन्द्र कुमार के द्वारा फसल काश्त की जा रही है।

अतः आप द्वारा चाही गयी फसल स्वामित्व सत्यापन रिपोर्ट अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

  
(राजपाल यादव)  
उपखण्ड अधिकारी  
धोद (मु0 सीकर)

उपखण्ड अधिकारी  
धोद मु. सीकर



POWERGRID KHETRI TRANSMISSION SYSTEM LIMITED

(A 100% Wholly owned Subsidiary of Power Grid Corporation of India Ltd)

400 / 220 के.वी. उपकेन्द्र रा.राजमार्ग-52 भदाडर, सीकर-332001 दूरभाष नं. 09001893521  
400/220 kV Sub-Station, NH-52, Bhadadar, Sikar, 332001 Phone No.09001893521

सन्दर्भ सं.-PKTSL/TBCB/K-S/400के0वी0पा0प0नि0/ 21

दिनांक 29/07/2020

सेवा में,  
श्रीमान उपखंड अधिकारी,  
उपखंड - धोद  
जिला - सीकर

विषय :- 400 के0 वी0 डी/सी खेतडी (NEW)-सीकर पारेषण पथ के निर्माण के दौरान फसल नुकसान मुआवजा का संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत में लेख है कि राजस्व ग्राम कुदन के खसरा संख्या 158 में टावर संख्या 73/2 का निर्माण कार्य किया जाना है।

खसरा संख्या 158 में श्री नरेंद्र कुमार S/O श्री रिछपाल, राजस्व ग्राम कुदन द्वारा फसल कास्त करने का दावा कर रहे है एवम इन कि सहमति उपरांत टावर के फ़ाउंडेशन का कार्य पूर्ण हो चुका है आगे का कार्य अर्थात् टावर को खड़ा करने से पूर्व ये मुआवजे की मांग कर रहे है।  
जबकि जमाबंदी में निम्नानुसार नाम दर्ज हैं :-

1. गजेन्द्र कुमार पुत्र मुरलीधर हिस्सा- 55/702 जाति- जाट सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा-55/702 ( पूर्ण खाता ) राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा कूदन
2. गजेन्द्रकुमार पुत्र सुरजी पत्नि तनसुखराम हिस्सा- 296/351 जाति- जाट सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा-296/351 ( पूर्ण खाता ) राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा कूदन
3. सुगनीदेवी पत्नि मुरलीधर हिस्सा- 55/702 जाति- जाट सा. देह खातेदार

विभाग द्वारा कार्य करने के दौरान जमीन का मुआवजा नहीं दिया जाता है केवल क्षतिग्रस्त होने वाली फसल का मुआवजा राजस्व विभाग या अन्य सक्षम विभाग द्वारा निर्धारण एवं स्वामित्व सत्यापन कर संबंधित कास्तकार को दिया जाना प्रावधानित है।

अतः आपसे अनुरोध है कि तहसील से उक्त फसल का स्वामित्व सत्यापन कर भिजवाने का श्रम करावे ताकि संबंधित कास्तकार को समय पर मुआवजा दिया जा सके।

सधन्यवाद।

Received  
29/07/2020

भवदीय,

(भरत भड़िया)  
क्र. पावरग्रिड खेतडी ट्रांसमिशन सिस्टम लि.